



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743]  
No. 743]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

का.आ. 1274(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा, निदेश देते हैं कि राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधधीन और अगले आदेशों तक, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (चाहे वे उप-राज्यपाल के रूप में जाने जाते हों अथवा प्रशासक के रूप में) अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उसके कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. 11018/3/2008-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

S.O. 1274(E).—In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to the control of the President and until further orders, the Administrator of every Union Territory (whether known as Lieutenant Governor or Administrator) in relation to their respective Union Territories shall also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007) and the rules made thereunder.

[F.No. 11018/3/2008-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.